

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-9  
संख्या-1230/दो-9-2018-5(175)/2009  
लखनऊ: दिनांक : 05 जून, 2018  
कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा श्री अमृत सिंह यादव, समीक्षा अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या-जी.ए.यू.-78899 से भवन निर्माण हेतु रू0-2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) के अस्थायी अग्रिम निष्कासन की स्वीकृति सामान्य भविष्य निधि (उ0प्र0) नियमावली, 1985 के नियम संख्या-13(2) (छ) सपठित नियम-14 (1) के अनुसार दी जाती है।

2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गयी धनराशि रू0 2,00,000/- अवशेष धनराशि रू0-48,185/- कुल धनराशि रू0-2,48,185/- की वसूली 35 किश्तें रू0-6,894/- (रूपये छ हजार आठ सौ चौरान्चे मात्र) की दर से एवं 36वीं किश्त रू0-6,895/- (रूपये छ हजार आठ सौ पंचान्चे मात्र) की दर से की जायेगी। उक्त कटौती जून, 2018 देय माह जुलाई, 2018 के वेतन से प्रारम्भ की जायेगी। इनके जी0पी0एफ0 खाते में दिनांक 11.05.2018 तक प्रतिबंधित धनराशि को छोड़कर कुल रू0-6,83,913/- की धनराशि जमा है।

3- श्री अमृत सिंह यादव, समीक्षा अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-2 का उक्त आहरण लेखा शीर्षक 8009-राज्य भविष्य निधियाँ-01-सिविल-101-सामान्य भविष्य निधियाँ-02 -अन्य अभिदाता के अन्तर्गत आहरित किया जायेगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय,  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1230(1)दो-9-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम, फण्ड अनुभाग-24, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- नियुक्ति लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 4- श्री अमृत सिंह यादव, समीक्षा अधिकारी, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 सचिवालय।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर नियुक्ति विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

विश्वनाथ दुबे  
(विश्वनाथ दुबे)  
अनु सचिव।